17

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़, रायपुर

:– परिपत्र :–

क्रमांक 02/त.शा./प्र.अ./लो.स्वा.यां.वि./रायपुर/05 दिनॉक 19.12.2005

विषयः– ग्रेव्हल पैक नलकूप खनन हेतु दिशा निर्देश बाबत् ।

उपरोक्त विषयांतर्गत कार्य हेतु दिशा निर्देश जारी किये जाते है जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा । दिये गये निर्देशानुसार ग्रेवल पैक नलकूप खनन नीति निम्नानुसार होगी :–

ग्रेव्हल पैक नलकूप खनन की नीति :–

1. खण्ड कार्यालय में समिति बनेगी जिसमे कार्यपालन यंत्री सिविल/मेके. एवं जिले के सहायक अभियंता, (सिविल) एवं मेकेनिकल तथा मानचित्रकार शामिल रहेगें । वे ग्रेव्हल पैक नलकूप की सूची की छानबीन करेंगें ।
2. पूर्व खनित नलकूपो की गहराई केसिंग पाइप की लंबाई, नलकूपों का प्रकार सहित विवरण प्रस्तुत करेंगे । उनके द्वारा बनाई गई चयनित सूचि के आधार पर कार्य योजना बनाई जावेगी जिसमें वि./यां. एवं सिविल संकाय द्वारा किये जाने वाले कार्यो का पृथक से उल्लेख होगा । कार्य योजना में शामिल सूचि में समिति के सभी सदस्यो के हस्ताक्षर होगें ।
3. खनन केवल लूज स्टाटा तक सीमित रहेगा ।
4. हैण्डपंप के लिये ग्रेव्हल पैक बोर की अधिकतम गहराई 45 मीटर रखी जावे । यदि आवश्यक हो तो इसे अधीक्षण अभियंताओं की पूर्व अनुमति के आधार पर 60 मीटर तक बढ़ाया जा सकेगा ।
5. ग्रेव्हल का क्रय विभाग द्वारा किया जाना व्यावहारिक नही होगा ।
6. ग्रेव्हल पैक नलकूप मे लगने वाले ग्रेव्हल का श्रोत ठेकेदार द्वारा घोषित किया जाना आवश्यक होगा। विभाग द्वारा इस श्रोत से प्राप्त ग्रेव्हल का टेस्ट कराया जावेगा ।
7. जी.आई.पाइप/यू.पी.व्ही.सी.पाईप/स्ट्रेनर का क्रय/ हैण्डपंप सेट एवं पावर पंप सभी के दर अनुबंध (Rate contract.) सी.एस.आई.डी.सी. के माध्यम से होना चाहिये ।

उक्त निर्देशो का पालन तत्काल किया जाना सुनिश्चित करें

प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग